

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 121 : गलत रूप से प्राप्त किए प्रत्यय की वसूली

नियम 97 के उपनियम (3) के अधीन प्रत्यय की गई रकम सत्यापित की जाएगी और ¹[धारा 73 या धारा 74 या धारा 74 क के अधीन कार्यवाहियां , यथास्थिति] चाहें वह पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी गलत तरीके से प्राप्त किसी प्रत्यय के बाबत शुरू की जाएंगी।

¹ अधिसूचना क्रमांक 20/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा "धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्यवाहियां, यथास्थिति" अंतःस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।